

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार सिंह  
निदेशक  
सूडा।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक  
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम  
उत्तर प्रदेश, शासन।

मा० उच्चतम न्यायालय प्रकरण / शीर्ष प्राथमिकता

राज्य नगरीय विकास अभियान (सूडा)।

लखनऊ दिनांक- १६ नवम्बर 2017

विषय:- मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.10.2017 एवं 08.11.2017 के अनुपालन में जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में पाये गये शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मिशन निदेशक सूडा, उ0प्र0 के पत्र सं-696/241/NULM/तीन/2001(SUH) दिनांक 13.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों को आश्रय देने के अधिकार के संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) सं0 55/2003 सम्बद्ध रिट याचिका (सिविल) सं0 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत गणराज्य व अन्य विचाराधीन है, जिसमें शहरी बेघरों के लिए समुचित संख्या में अपेक्षित सेवाओं और सुविधाओं से युक्त सभी मौसम के लिए स्थायी आश्रय गृह उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। केन्द्र पुरोनिधानित योजना दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले आश्रय गृहों हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा धनराशि व्यवस्था (funding pattern) क्रमशः 60:40 किये जाने का प्राविधान है।

आवासन और शहरी कार्य भंत्रालय यू०पी० सेल, भारत सरकार द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के इस घटक हेतु जारी प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अधीन वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के 97 आश्रय गृहों का निर्माण/उच्चीकरण किया जा रहा है, जिनकी क्षमता मात्र 6220 व्यक्तियों की है। गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक 01 लाख की जनसंख्या पर न्यूनतम 100 व्यक्तियों के लिए स्थायी सामुदायिक आश्रय गृह का प्राविधान किया जाना है। सभी आश्रय गृहों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यूनतम 50 वर्गफीट का स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के सापेक्ष निर्मित/निर्माणाधीन आश्रय गृहों की संख्या अत्यल्प है।

इस योजना के अन्तर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता में कठिनाई आ रही है। नगरीय निकायों में इस हेतु उपर्युक्त भूमि का अभाव है। इस संबंध में योजना की Operational Guidelines के खण्ड 9.4 में प्राविधान है कि-

For construction of new shelters, it will be the responsibility of the State Government/ULB's to bring in the land. Many a times, unused land may be available with Railways, Bus stands, Port Trusts, Hospitals, NGOs, Charitable trusts or any other such organisations; and States/ULBs may not be owning that land. In such circumstances, States/ULBs may enter into an arrangement with the concerned organisations for use of land for construction and maintenance of shelters with or without formal transfer of ownership. All the necessary clearances and approvals for the land must be obtained prior to preparation of the proposal. The cost of land acquisition is not eligible for funding under the scheme.

ज्ञातव्य है कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा शहरी बेघरों को उपरोक्तानुसार आश्रय उपलब्ध कराने के दृष्टिगत आश्रयों के भौतिक सत्यापन, उनमें दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार अपेक्षित सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता, उनकी स्थापना करने की धीमी प्रगति के कारणों की जांच आदि के लिए मा० उच्चतम न्यायालय दिल्ली के भूतपूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति जिसमें दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवा निवृत्त अधिकारी, सदस्य सचिव और संयुक्त सचिव,

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, यू०पी० सेल, भारत सरकार सदस्य हैं, गठित की गई है। समिति द्वारा प्रदेश में आश्रय गृहों के निर्माण/उपलब्धता की विगत अप्रैल 2017 में समीक्षा कर आख्या मा० सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी गई है, जिसके अनुसार उ०प्र० को Poor की श्रेणी में तथा कानपुर नगर को Extremely Poor की श्रेणी में दर्शाया गया है।

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में विगत दिनांक 13.10.2017 की आख्या को संज्ञान में लेते हुए प्रतिकूल टिप्पणी की गई है तथा गाइडलाइन के अनुसार रोड मैप तैयार कर सभी शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार से शपथ पत्र दिये जाने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार की तरफ से मा० सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है, जिसके दृष्टिगत शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध किये जाने हेतु शेल्टर होम निर्माण के लिए वरीयता के क्रम में भूमि/भवन की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत विगत माह में आयोजित गवर्निंग कौसिल की बैठक में कौसिल के अध्यक्ष मा० मुख्यमंत्री उ०प्र० द्वारा निर्देश दिये गये है कि सभी जिला मुख्यालय एवं 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों में शहरी बेघरों हेतु तत्काल शेल्टर होम की व्यवस्था की जाये। मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देश के अनुक्रम में प्रदेश के शहरों में तत्काल शेल्टर होम्स के निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जानी है, जिसके दृष्टिगत प्रथम वरीयता के क्रम में भूमि/भवन का विन्हीकरण कर उपलब्ध कराया जाना है।

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.2017 (आदेश की प्रति संलग्न) को प्रकरण पर सुनवाई करते हुए जनगणना 2011 के अनुसार पाये गये शहरी बेघरों की संख्या के अनुपात में आश्रय गृह उपलब्ध न करा पाने की स्थिति को संज्ञान में लेते हुए गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी है तथा प्रदेश सरकार से विस्तृत सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। मा० उच्चतम न्यायालय में दिनांक 23.11.2017 को आगमी तिथि नियत है, जिसके पूर्व राज्य सरकार की तरफ से विस्तृत शपथ पत्र दाखिल किया जाना है जिसमें भूमि उपलब्धता के आधार पर शेल्टर होम के निर्माण की कार्ययोजना का उल्लेख किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कृपया गाइडलाइन्स के अनुरूप प्रदेश के शहरों/नगरीय निकायों में शहरी बेघरों के लिए आश्रय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें कि आगामी 02 दिवसों में भूमि का विन्हांकन कराकर निदेशक सूडा को ई-मेल nulmup@gmail.com एवं pmusuda@gmail.com के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें, ताकि मा० मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुक्रम में कार्यवाही करते हुए मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में उल्लेख कर आश्रयों के निर्माण की कार्ययोजना के सम्बन्ध में शपथ पत्र दाखिल किया जा सके। कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन, उ०प्र० शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के अवगतार्थ।
4. संयुक्त सचिव, भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, यू०पी०ए० सेल निर्माण भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से रेल मंत्रालय को अनुरोध कर सम्बन्धित को निर्देशित कराने का कष्ट करें।
5. वेबमास्टर, सूडा को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
निदेशक